# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी - सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान -
सन्त सिंह पुत्र श्री दीप सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जी.बी. तहसील श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)

अप्रार्थी

**(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956)**

**प्रकरण संख्या - 71/2019** **निर्णय दिनांक - 30/09/2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

यह कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम से तहसील श्री विजयनगर के चक 39 जी.बी. का प.नं. 104/429 मु.नं. 57 किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में 1.240 है. नहरी भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। मुझ प्रार्थी के द्वारा उक्त भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 10/06/1981 को खरीद की गई थी। बैयनामा में मुझ प्रार्थी का नाम सन्त सिंह पुत्र श्री दीप सिंह जाति जटसिख निवासी 39 जी.बी. अंकित था। परन्तु उक्त बैयनामा के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में इन्तकाल करने समय सहवन से मुझ प्रार्थी का नाम सन्त सिंह के स्थान पर सन्तोख सिंह पुत्र श्री दीप सिंह दर्ज हो गया है। जबकि मुझ प्रार्थी का सही नाम सन्त सिंह पुत्र दीप सिंह है। उक्त रकबा चक 39 जी.बी. का प. नं. 104/429 मु.नं. 57 किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में 1.240 है. नहरी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में लिपिकीय भूल एवं त्रुटि, सहवन से प्रार्थी का नाम सन्त सिंह के स्थान पर सन्तोख सिंह अंकित हो गया है। जबकि प्रार्थी का सही नाम सन्त सिंह है। व प्रार्थी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र एवं 10वीं की अंक तालिका में भी प्रार्थी का नाम सन्त सिंह दर्ज है। उक्त रकबा चक 39 जी. बी. का प.नं. 104/429 मु.नं. 57 किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में 1.240 है. नहरी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम सन्त सिंह के स्थान पर सन्तोख सिंह अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी का सही नाम सन्त सिंह पुत्र श्री दीप सिंह है। जबकि जमाबन्दी में सहवन से सन्तोख सिंह पुत्र दीप सिंह अंकित हो गया है। जिसको सही किया जाना उचित है। इसकी जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने राजस्व तहसीलदार श्री विजयनगर से मिल कर जमाबन्दी, राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सही करने हेतु निवेदन किया लेकिन तहसील कार्यालय द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष कार्यवाही करने हेतु कहा गया। इसलिए प्रार्थी श्रीमान न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है।

लगातार.....2

Priyanka 30/09/2019
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 के पेश कर निवेदन है कि उक्त रकबा चक 39 जी.बी. का प.नं. 104/429 मु.नं. 57 किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में 1.240 है. नहरी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम सन्तोख सिंह के स्थान पर सन्त सिंह दर्ज करने के आदेश सम्बधित तहसीलदार को भिजवाये। आपकी कृपा होगी।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार राज को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार राज की ओर से रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार चक 39 जी.बी. का प.नं. 204/429(57) का किला नं. 2, 3 में 0.506 है., 8, 9 में 0.506 है., 12, 13 में 0.506 है., 18, 19 में 0.506 है., 22, 23 में 0.456 है. = 2.480 है. नहरी कृषि भूमि गुरमेल सिंह पुत्र आत्मा सिंह, सन्तोख सिंह पुत्र दीप सिंह जाति जटसिख सा. देह खातेदार दर्ज हैं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में सन्त सिंह पुत्र दीप सिंह दर्ज है। प्रार्थी ने बैयनामा दिनांक 09/06/1981 की प्रतिलिपि संलग्न कर व शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त रकबे का बैयनामा स्थानान्तरण किसी ओर को नहीं होना बताया है। अतः प्रस्तुत दस्तावेजों, पूछताछ के आधार पर सन्तोख सिंह पुत्र दीप सिंह के स्थान पर सन्त सिंह पुत्र दीप सिंह किया जाना उचित है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं कानूनी बिन्दुओं एवं प्रावधानों का मनन किया गया तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार प्रार्थी का नाम बैयनामा में सन्त सिंह पुत्र दीप सिंह दर्ज है परन्तु बैयनामा के आधार पर इन्तकाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करते समय सहवन से सन्त सिंह के स्थान पर सन्तोख सिंह अंकित हो गया है। जो कि सहवन से दर्ज हुआ है। जिसकी दुरूस्ती किया जाना न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व(लेण्ड रेवेन्यू) अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी चक 39 जी.बी. का प.नं. 104/429 मु.नं. 57 किला नं. 3, 8, 13, 18, 23 में 1.240 है. नहरी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सन्तोख सिंह पुत्र दीप सिंह दर्ज हो गया है, उसे सही कर सन्त सिंह पुत्र दीप सिंह दर्ज करने के दूरूस्ती आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/09/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/09/19

(प्रियंका तलोनिया)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner